

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C / 1714 /

जबलपुर, दिनांक 6 / 04 / 2018

कु. रीना दास, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को रजिस्ट्री आदेश क्र. बी/1796 जबलपुर, दिनांक 02.04.2018 के तारतम्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्डौर की स्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 07.04.2018 अपरान्ह से कार्यभार मुक्त किया जाता है।

(मो. फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल
८०३

पृष्ठांकन क्रमांक C / 1715 /

जबलपुर, दिनांक 6 / 04 / 2018

प्रतिलिपि :-

- प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ इन्डौर, (म.प्र.) की ओर इस अनुरोध के साथ कि उनके अवकाश खाते में 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिवस का ऐच्छिक अवकाश शेष है,
 - रजिस्ट्रार प्रशासन/कम-पीपीएस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 - कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर/इन्डौर,
 - रजिस्ट्रार आईटी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
 - विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 - लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 - ज्वाईट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 - डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 - रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 - कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 - असिस्टेंट रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 - अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 - सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/सी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 - दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 - कु. रीना दास, निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्डौर की स्थापना पर कार्यभार ग्रहण करें,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(यू.एस.दुबे)